न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : अनिल कुमार II, RAS

अपील संख्या 44 / 2019

1 शोकत अली पुत्र बुलन जाति व्यापारी निवासी वार्ड नम्बर 22 मोहल्ला व्यापारियान कस्बा व तहसील उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनूं राज.।

अपीलांटस

बनाम

1 जगदीश पुत्र मुकन्दाराम जाति जाट निवासी चक नांगल तहसील उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनूं राज.।
2 मनफुल पुत्र मुकन्दाराम जाति जाट निवासी चक नांगल तहसील उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनूं राज.।
3 सीताराम पुत्र मालाराम जाति जाट निवासी चक नांगल तहसील उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनूं राज.।
4 श्रवण पुत्र मालाराम जाति जाट निवासी चक नांगल तहसील उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनूं राज.।
5 भूमिधारक जरिये तहसीलदार तहसील उदयपुरवाटी।
6 उप पंजीयक अधिकारी उप पंजीयक कार्यालय उदयपुरवाटी।
7 फजलु पुत्र नजीर जाति व्यापारी निवासी चक नांगल तहसील उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनूं राज.। फौत
7 / 1 हफीज पुत्र फजलु
7 / 2 रहमत पुत्री फजलु
7 / 3 हलीमा पुत्री फजलु
7 / 4 रफीक पुत्र फजलु
7 / 5 खातिजा पतनी फजलु समस्त निवासीगण चक नांगल हाल निवासी मौहल्ला व्यापारियान कस्बा उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनूं राज.।

रेस्पोडेन्टस

अनिल कुमार II RAS
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधि
1955 विरूद्ध निर्णय दिनांक 24.06.2019 न्यायालय .
उपखण्ड अधिकारी उदयपुरवाटी पीठासीन अधिकारी
श्री हवाईसिंह यादव आरएएस बउनवानी प्रकरण शौकत
अली आदि बनाम जगदीश वगै प्रार्थना पत्र अस्थाई निषे.
मु.नं. 60/2013

उपस्थिति :

1. श्री बनवारी लाल सैनी, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री विद्याधर जाखड़, अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट

—निर्णय—

दिनांकः— 15/7/25

यह अपील विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी उदयपुरवाटी द्वारा मुकदमा नम्बर 60/2013 में पारित निर्णय दिनांक 24.06.2019 के विरूद्ध प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि विचारण न्यायालय में प्रार्थी अपीलान्ट ने एक प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा बाबत भूमि खसरा नम्बर 171, 172, 173, 331/245 वाके ग्राम चक नांगल पटवार हल्का इन्द्रपुरा का पेश किया। विचारण न्यायालय ने बाद सुनवाई विचाराधीन निर्णय से प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया। इससे व्यथित होकर यह अपील प्रस्तुत की गई है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि मौके पर कब्जा काश्त के आधार खसरा गिरदावरी बनाई गई, खसरा गिरदावरी में संवत 2012 से 2015 के अनुसार नजीर पुत्र बगडु कसाई 1/2 हिस्सा चन्दरिया व मालिया पुत्र देवा कौम माली 1/2 हिस्सा इन्द्राज दर्ज रिकार्ड है तत्पश्चात चन्द्रा 124 माला पुत्र देवा माली 124 सा.देह

अनिल कुमार II RAS
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

नजीर पुत्र बगडु कसाई 1/2 हिस्सा सा.उदयपुर इन्द्राज दर्ज रिकार्ड है। भूमि खसरा नम्बर 10 पुराना का पूर्वी भाग चन्दरिया बमालिया तथा पश्चिम भाग नजीर पुत्र बगडु कसाई काश्त कब्जा काबिज होकर काश्त करने लगे नजीर काश्त के साथ पशुपालन का भी करने लगा मय परिवार आबाद हुआ अपना पश्चिमी हिस्सा पर तथा समय–समय पर लगान अदा करता चला आया है। मालिया व चन्दरिया का नजदीकी रिश्तेदार राजनीति में प्रभावशाली व्यक्ति होने से बाला–बाला राजस्व अधिकारियों को अपने प्रभाव में लेकर नजीर पुत्र बगडु कसाई का भूमि खसरा नम्बर 10 पुराना 1/2 हिस्सा अपने नाम करवा कर गैर कानूनी तरीके से राजस्व रिकार्ड में भू–सम्पदा हड़प कर ली। वादग्रस्त भूमि के मिलान क्षेत्रफल के अनुसार वर्तमान खसरा 171, 172, 173 व 331/245 ग्राम चकनांगल पटवार हल्का इन्द्रपुरा तहसील उदयपुरवाटी बनाये गये। मूलवाद उपखण्ड अधिकारी उदयपुरवाटी के समक्ष तलवी कायम मुकामान में विचाराधीन है विचाराधीन मूलवाद पत्र पत्रावली साक्ष्य लेने के पश्चात पक्षकारान हक अधिकारों का निस्तारण होना है, मूलवाद के निस्तारण की अवधि तक वादग्रस्त भू–सम्पदा को सुरक्षा प्रदान किया जाना अत्यावश्यक एवं न्यायोचित है। प्रार्थना–पत्र स्थाई निषेधाज्ञा में प्रथम दृष्टया मामला सुविधा का संतुलन एवं अपूरणीय क्षति को निस्तारण करना होता प्रत्येक बिन्दु पर विस्तृत आदेश करने का प्रावधान किन्तु मातहत ने उक्त तीनों बिन्दुओं का निस्तारण नहीं किया गया है। विवादित भू–सम्पदा अपीलान्ट के पूर्वज स्व. नजीर का खसरा गिरदावरी संवत 2012 से 2015 से कब्जा काबिज होकर तत्कालीन जागीरदारों से प्राप्त भू–सम्पदा काश्त चला आ रहे है प्रथम दृष्टया मामला अपीलान्ट का साबित है तथा विरासत में प्राप्त भू–सम्पदा का अपनी सुविधानुसार उपयोग उपभोग करते चले आ रहे है इसलिए सुविधा का संतुलन अपीलार्थी पक्ष में है रेस्पोडेन्टस गलत खातेदारी की आड़ अपीलान्ट के कब्जे काश्त एवं उपयोग उपभोग में व्यवधान एवं दखलअंदाजी या बाहुबल लाठी की ताकत पर जबरन बलपूर्वक बेदखल करने की स्थिति में अपूरणीय क्षति अपीलान्ट को होती है तथा गलत खातेदारी की आड़ दीगर किसी अन्य व्यक्ति को संक्रमित करने की स्थिति में अपीलान्ट को विरासत में प्राप्त भू–सम्पदा से हमेशा के लिए वंचित हो जाएगे ऐसी स्थिति में मूलवाद के निस्तारण तक रेस्पोडेन्टस वादग्रस्त भू–सम्पदा किसी दीगर व्यक्ति को संक्रमित करने से निषेध किया जाना अत्यावश्यक एवं न्यायोचित

अनिल कुमार II RAS
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय विधि सम्मत नहीं है। अपील स्वीकार की जावें।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट ने तर्क दिया कि जमाबंदी संवत 2075–2078 के अनुसार ग्राम चक नांगल पटवार हल्का इन्द्रपुरा की सरहद में भूमि खसरा नम्बरं वर्तमान 171, 172, 173, 331/245 कुल किता 4 कुल रकबा 2.37 हैक्टेयर अवस्थित है जिसमें 1/2 हिस्से के खातेदार काश्तकार अनावेदक संख्या 1, 2 व उनकी माता सूरजी देवी तथा 1/2 हिस्से के अनावेदक संख्या 3 व 4 खातेदार काश्तकार दर्ज रिकार्ड है। पत्रावली पर मौजूद विवादित भूमि के प्रथम बन्दोबस्त से लेकर वर्तमान तक के राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी के अवलोकन से स्पष्ट है कि ना तो कभी आवेदकगण और ना ही आवेदकगण के पूर्वज विवादित भूमि के रिकार्डेड खातेदार दर्ज रिकार्ड रहे है। वर्तमान जमाबंदी संवत 2072–2075 के अनुसार उक्त भूमि खसरा नम्बरान में आवेदकगण का कोई हक व हिस्सा नहीं है तथा वर्तमान में आवेदकगण ना ही उक्त भूमि का रिकार्डेड खातेदार काश्तकार दर्ज रिकार्ड है इस कारण आवेदकगण रिकार्डेड खातेदार काश्तकार को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द नहीं करवा सकता। आवेदकगण ने प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में अंकित किया है कि विवादित भूमि में आवेदकगण व प्रतिवादी संख्या 5 लगायत 9 का 1/2 हिस्सा बनता है इसका निर्णय वाद पत्र में साक्ष्य के आधार पर तय होना। अतः आवेदकगण पक्ष प्रथम दृष्टया प्रकरण साबित करने में असफल रहा तथा सुविधा का संतुलन भी आवेदक के पक्ष में नहीं है, इस कारण अपूरणीय क्षति भी कारित होने की सम्भावना नहीं है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय ने विचाराधीन निर्णय से आवेदक द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा साबित नहीं होने से खारिज करने में कोई विधिक त्रुटि नहीं की है। विचारण न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है। अपील सारहीन है। खारिज की जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि जमाबंदी संवत 2075–2078 के अनुसार ग्राम चक नांगल पटवार हल्का इन्द्रपुरा की सरहद में भूमि खसरा नम्बर वर्तमान 171, 172, 173, 331/245 कुल किता 4 कुल रकबा 2.37 हैक्टेयर अवस्थित है जिसमें 1/2 हिस्से के

अनिल कुमार II RAS
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प चुरू)

खातेदार काश्तकार अनावेदक संख्या 1, 2 व उनकी माता सूरजी देवी तथा 1/2 हिस्से के अनावेदक संख्या 3 व 4 खातेदार काश्तकार दर्ज रिकार्ड है। पत्रावली पर मौजूद विवादित भूमि के प्रथम बन्दोबस्त से लेकर वर्तमान तक के राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी के अवलोकन से स्पष्ट है कि ना तो कभी आवेदकगण और ना ही आवेदकगण के पूर्वज विवादित भूमि के रिकार्डेड खातेदार दर्ज रिकार्ड रहे है।

वर्तमान जमाबंदी संवत 2072–2075 के अनुसार उक्त भूमि खसरा नम्बरान में आवेदकगण का कोई हक व हिस्सा नहीं है तथा वर्तमान में आवेदकगण ना ही उक्त भूमि का रिकार्डेड खातेदार काश्तकार दर्ज रिकार्ड है इस कारण आवेदकगण रिकार्डेड खातेदार काश्तकार को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द नहीं करवा सकता। आवेदकगण ने प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में अंकित किया है कि विवादित भूमि में आवेदकगण व प्रतिवादी संख्या 5 लगायत 9 का 1/2 हिस्सा बनता है इसका निर्णय वाद पत्र में साक्ष्य के आधार पर तय होना।

अतः आवेदकगण के पक्ष में प्रथम दृष्टया प्रकरण साबित नहीं होता है तथा सुविधा का संतुलन भी आवेदक के पक्ष में नहीं है, इस कारण अपूरणीय क्षति भी कारित होने की सम्भावना नहीं है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय ने विचाराधीन निर्णय से आवेदक द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा साबित नहीं होने से खारिज करने में कोई विधिक त्रुटि नहीं की है। विचारण न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है। हम इसमें कोई विधिक त्रुटि नहीं पाते है। अतः इसमें हस्तक्षेप करना हम उचित नहीं समझते है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट खारिज की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 15/7/25 को सरे इजलास सुनाया गया।

(अनिल कुमार II)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर

अनिल कुमार II RAS
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
(कैम्प झुन्झुनूं)